


हरजीराम बनाम तीजकंवर

22-2-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट के मध्य गांव के मौतविरान व्यक्तियों एवं रिश्तदारों के बीच राजीनामा हो चुका है व पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद इस बाबत नहीं रहने के कारण अपीलांट अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विद्रा करना चाहते हैं। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विद्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा इस संबंध में अनापत्ति व्यक्त की गई।



प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 21-02-2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट ही उक्त अपील को इस आधार पर विद्रा करना चाहते हैं कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को जरिये राजीनामा विद्रा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात् रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगे। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विद्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।



(रामेश्वर कर्मा) नौद्वारिकारी
राजस्व अपील प्रोधिकारी
बीकानेर